संख्या22 LXXVII(3)अ.आ. /2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,वित्त
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

1.अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।
2.सचिव,शिक्षा,
उत्तरांचल शासन ।
3.सचिव,कृषि,
उत्तरांचल शासन ।

वित्त अनु–3 देहरादून:दिनांक 18 जून,2005

विषय:– राज्य के विश्व विद्यालय,कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों,अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के विश्व विद्यालयों,कृषि विश्व विद्यालयों तथा उनसे संबद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के शासन द्वारा सृजित पदों पर तात्कालिक प्रभाव से 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता की आयु पूरा होने पर 58 वर्ष एवं 60 वर्ष के अलग–अलग सेवानैवृत्तिक लाभ के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर आनुतोषिक(ग्रेच्युटी)सहित सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2.उक्तानुसार एक मानक सिद्धान्त होने पर संस्थाओं में 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी न दिये जाने का अन्तर स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा किसी भी प्रकार के विकल्प दिये जाने की आवश्यकता नही होगी ।

3.ग्रैच्युटी का लाभ अंशदायी भविष्य निधि खाते के विकल्पधारी उन्हीं शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो अपने अंशदायी भविष्य निधि खाते में विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा समस्त धनराशि,उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि तथा अपने अंशदान की समस्त धनराशि एवं उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि राजकोष में इस शासनादेश की तिथि से 90 दिन के अन्दर एक मुश्त जमा कर देंगे

4. 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर अधिवर्षता की तिथि पर ही समस्त सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य कराया जायेगा तथा उसके बाद किसी भी प्रकार का सेवा विस्तार नहीं दिया जायेगा । जिन शिक्षकों से सत्रांश तक कार्य लिया जाना आवश्यक हो, ऐसे प्रकरणों में पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही पूर्व से स्थापित मानकों के

NIL
965

अधीन की जायेगी तथा अधिवर्षता आयु के बाद सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्रस्तर– 520 के अनुसार वेतन में पेंशन की धनराशि घटा कर वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत में से मात्र एक ही लाभ अनुमन्य होगा।

5.उक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय के संबंध में राज्य के विश्वविद्यालय सम्बन्धी अधिनियम/नियम,कृषि विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिनियम/नियम एवं माध्यमिक शिक्षा अधिनियम/नियम आदि में उपरोक्त विषयक यथावांछित संशोधन किया जाना प्रशासनिक विभाग का दायित्व होगा ।

उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्या220XXvii(3)अ.आ./2005 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1.महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।
2.सचिव,श्री राज्यपाल,उत्तरांचल ।
3.निदेशक,उच्च शिक्षा,हल्द्वानी नैनीताल ।
4.निदेशक,विद्यालयी शिक्षा,उत्तरांचल,देहरादून ।
5.निदेशक,प्राविधिक शिक्षा,उत्तरांचल ।
6.कुलसचिव, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल/ कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल/कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर,नैनीताल ।
7.निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर,उत्तरांचल ।
8.मण्डलायुक्त,कुमायूँ/गढ़वाल ।
9.समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल ।
10.समस्त वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
11.रीजिनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,उत्तरांचल,देहरादून ।
12.शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग/कृषि एवं जलागम अनुभाग ।
13.वित्त विभाग के समस्त अनुभाग ।
14.निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।
15.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

18060500 4.pdf